Revise

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी - 75 /ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा/2018-19 दिनॉक 27.11.18

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी-26/ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा/2010-11 दिनॉक 13.07.2010 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि दिनॉक 24 मई 2010 से ग्रेच्युटी का भुगतान अधिकतम् धनराशि मु0 10.00 लाख की जा रही थी। The Payment of Gratuity Amedment Act 2018 "N0.12 of 2018" के अनुसार The Payment of Gratuity Act 1972 "1972 का 39" की धारा 4 की उपधारा 3 के द्वारा अधिनियम के अधीन ग्रेच्युटी की अधिकतम् सीमा मु0 10.00 लाख के स्थान पर मु0 20.00 लाख रूपये प्रतिस्थापित किये जाने के पश्चात् बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनॉक 04.08.18 द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 7 दिनॉक 04.08.2018 द्वारा इस बैंक में सेवारत कर्मियों के त्यागपत्र/सेवानिवृत्त/मृत्यु पर देय ग्रेच्युटी की अधिकतम् सीमा मु0 10.00 लाख रूपये (दस लाख रूपयें) से बढ़ाकर मु0 20.00 लाख रूपये (बीस लाख रूपये) करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप उक्त संशोधित धनराशि सीमा दिनॉक 29.03.2018 से बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के मामले में प्रभावित हो गयी है।

कृपया उक्त संशोधन से समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महाप्रबन्धक (प्रशिक्षण), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 10, माल एवेन्यू, प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय लखनऊ।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी/प्रभारी, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
4. भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, हजरतगंज लखनऊ।

(अजयपाल सिंह)
महाप्रबन्धक (ग्रेच्युटी)